संख्या–94/नौ–1–सिं0 (28 योजना)/2004

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तरॉचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तरॉचल,
देहरादून।

सिंचाई विभाग देहरादून, दिनांक 05 फरवरी, 2004

विषयः– जनपद देहरादून, पौड़ी एवं नैनीताल में राजकीय नलकूपों के लिये नाबार्ड से आर0आई0 डी0 एफ0–8 योजना के अन्तर्गत धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–03/नौ–1–सिं0(बजट)/2003, दिनांक 28.03.2003, शासनादेश संख्या–28/नौ–1–सिं0(योजना)/2003, दिनांक 20.05.2003 एवं आपके पत्र संख्या–20/मुअवि/बजट/बी–1 (नाबार्ड) दिनांक 03.01.2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिंचाई विभाग के अन्तर्गत देहरादून, पौड़ी एवं नैनीताल जनपदों में राजकीय नलकूपों के निर्माण की योजनायें नाबार्ड से स्वीकृत होने के फलस्वरूप इन योजनाओं के कियान्वयन हेतु संलग्न विवरणानुसार वित्तीय वर्ष 2003–2004 में रू0 280.00 लाख **(रू0 दो करोड़ अस्सी लाख मात्र)** व्यय करने की स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:–

1– स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं निर्माण कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति सीधे नाबार्ड को एवं वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराई जाय।
2– उक्त धनराशि का उपयोग नाबार्ड की गाइड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवश्यकता एवं मितव्यता का ध्यान रखते हुए किया जाय।
3– निर्माण कार्यों में भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।
4– आवश्यकतानुसार भूगर्भ वैज्ञानिक/ज्योलोजिस्ट से आवश्यक सहमति प्राप्त की जाय।
5– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार महालेखाकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।
6– धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकता से अधिक किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
7– कार्य की गुणवत्ता समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।

क्रमशः.................2

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2003–2004 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या –20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4701– मुख्य तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजी गत परिव्यय–01 मुख्य सिंचाई वाणिज्यक–140 नलकूपों का निर्माण 03–नाबार्ड (आर0आई0डी0एफ0 8 योजना)–00–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 पत्रांक–105/वि0अनु0–1/04,, दिनांक 29 जनवरी, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव।

पत्रांकः–94/(1)/नौ–1–सिं0/2004 तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार,ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड माजरा देहरादून।
2– वित्त अनुभाग–1 उत्तरांचल देहरादून।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल।
4– जिलाधिकारी देहरादून,पौड़ी,नैनीताल।
5– माननीय सिंचाई मंत्री जी के निजी सचिव, को माननीय मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
6– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7– अधिशासी निदेशक ,सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
8– गार्ड फाईल।

संलग्नकः– यथोपरि।

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव।

शासनादेश सं0–94/नौ–1–सिं0(28योजना)/2004, दिनांक 05 फरवरी, 2004 का संलग्नक।

अनुदान संख्या–20

लेखाशीर्षक–4701–मुख्य तथा मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

01–मुख्य सिंचाई वाणिज्यिक

140–नलकूपों का निर्माण

03–नाबार्ड (आई0डी0एफ0–8 योजना)

24–वृहद् निर्माण कार्य

(धनराशि लाख रू0 में)

क0सं0	परियोजना का नाम	जनपद	दिनांक 31.03.02 को योजना की कुल लागत	नाबार्ड द्वारा स्वीकृत किया जाने वाला ऋण	आवंटित धनराशि
1	2	3	4	5	6
ए0	डी0टी0 डब्लू0एस0				
1–आर–083500104	गहरे नलकूप 14 सं0	देहरादून	579.04	521.14	67.82
आर–083500106	गहरे नलकूप 06 सं0	पौड़ी	238.98	215.08	30.84
योग–			818.02	736.22	98.66
2–आर–083500106	गहरे नलकूप 20 सं0	नैनीताल	764.00	687.50	181.34
महायोग–			1582.02	1423.72	280.00

(रूपये दो करोड़ अस्सी लाख मात्र)

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
अपर सचिव।

C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\R_K_SEMWAL_BUDGET\budget Allotment G.o.doc- 17